राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई मेल sjeraj_ww@yahoo.com, फोन 0141-2226605, 2226621

क्रमांक: एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/45327 **जयपुर, दिनांक :** 13/07/2016

सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015

1. योजना का नाम एवं प्रभाव क्षेत्र:–

क) इस योजना का नाम **सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015** होगा। इस योजनान्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार की कन्याओं, अन्त्योदय परिवारों की कन्याओं, आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार जिसमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं हैं, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ख) यह नियम अधिसूचना जारी करने की तिथि से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें:

1. **"राज्य सरकार"** से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
2. **"विभाग"** से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है
3. **"आयुक्त/निदेशक"** से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
4. **"जिला अधिकारी "** से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
5. **"स्वीकृति अधिकारी"** से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
6. **"कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी"** से तात्पर्य राज्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है, जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बंधी बिल पारित किये जाते हैं।
7. **"बी.पी.एल.परिवार"** से तात्पर्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र एवं राज्य की बी.पी.एल.सूची में चयनित परिवारों से है।
8. **"विधवा"** से तात्पर्य उस महिला से है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
9. **"विधवा पेंशन"** से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा पेंशन नियम, यथासंशोधित नवीन नियम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से है।
10. **"अन्त्योदय"** से तात्पर्य केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित अन्त्योदय कार्ड धारकों से है।
11. **"आस्था कार्ड"** से तात्पर्य विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा विशेषयोग्यजनों को जारी आस्था कार्ड से है।

3. पात्रता:—

1 इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।

2. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

3. समस्त वर्गों के बी.पी.एल.परिवार।

4 सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार।

5. आस्था कार्डधारी परिवार।

6. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु। अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी:—

I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

II. विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।

III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनो का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।

8. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।

9. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

4. **योजनान्तर्गत अनुदान :—**

योजनान्तर्गत अनुदान 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु देय होगा।

क्र.सं.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि
1	उक्तानुसार पात्र वर्ग की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	रूपये 10,000/—	—
2	उक्तानुसार पात्र वर्गो की 10 वी (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 5,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रूपये 10,000/—	रूपये 5,000/—
3	उक्तानुसार पात्र वर्गो की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रूपये 10,000/—	रूपये 10,000/—

5. **प्रक्रिया:**

1. सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह पश्चात तक जिला अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
2. सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।

   I) विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यकता होने पर/संशय होने की स्थिति में आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वय के द्वारा की जा सकेगी।

2) विवाह पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

3. आवेदक को बी.पी.एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप, बी.पी.एल. कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा।

4. आवेदक अन्त्योदय परिवार से सम्बंधित होने की अवस्था में अन्त्योदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

5. आवेदक आस्था कार्डधारी होने की अवस्था में आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

6.

क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:–

1. विधवा पेंशन का पी.पी.ओ. ।
2. आय प्रमाण पत्र।
3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र।

ख) विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:–

1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. आय प्रमाण पत्र।
3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र।

7. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता अपना आवेदन सीधे जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

8. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति में प्रस्तुत किये जायेंगे।

9. वर एवं वधु की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी।

10. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी।

11. जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया जायेगा।

12. विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित दरों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा, अर्थात् अनुदान राशि की गणना का आधार विवाह का दिवस होगा।

6. योजना के कियान्वयन की समीक्षा :

जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग समिति गठित की जायेगी। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, समिति के सदस्य होगें, जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकताओं से आयुक्त/निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. नियमों में शिथिलता

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या, जो आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, वही अंतिम एवं बाध्यकारी मानी जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015 वित्त विभाग की आई.डी. 131600272 दिनांक 27.06.2016 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/45328-438 **जयपुर, दिनांक** 13/07/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, ...।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/16-17/ 52537-70 जयपुर दिनांक :- 10.8.16

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
....

विषय - सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के विभागीय आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा नवीन योजना संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. दिशा निर्देशों के पात्रता 3 के बिन्दु संख्या 6 के ।। मे अंकित **"विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।"** के स्थान पर **"विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50000 रूपये से अधिक नहीं हो"** पढ़ा जावे।
2. इस योजना में स्वीकृत आदेश मे अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का पृथक-पृथक उल्लेख किया जावे।
3. योजना की गाईड लाईन के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस मे निस्तारण करें । अतः नवीन योजना की गाईड लाईन का अवलोकन कर निर्धारित अवधि में पात्रता के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की जावें।
4. योजना के बिन्दु संख्या 6 में योजना के संचालन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमेटी के आदेश जारी करावे प्रत्येक 3 माह में मोनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जावें।
5. योजना में बजट व्यय करने के लिए विभागीय पत्रांक 48812-46 दिनांक 28.07.2016 के अनुसरण में आवश्यक बजट मांग भिजवाये ताकि बजट अभाव में पात्र आवेदक वंचित न रहे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/16-17/ 52571-671 दिनांक 10-8-16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. जिला कलक्टर ....।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....।
3. कोषाधिकारी कोष कार्यालय ....।
4. आदेश पत्रावली।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

D:\Ramnarayan Ji\General file\General letter.docx

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/17–18/ 19658 जयपुर दिनांक :– 18.04.20

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/16–17/45327 दिनांक 13.07.16 द्वारा जारी सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के नियम 4 को बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के अनु0 संख्या 144 की अनुपालना में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

''योजनान्तर्गत अनुदान 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही दो कन्या संतानों के लिए देय होगा'':–

क्र.सं.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1	उक्तानुसार पात्र वर्गो की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	20,000/–	–	20000/–
2	उक्तानुसार पात्र वर्गो की 10 वीं (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	20,000/–	10,000/–	30,000/–
3	उक्तानुसार पात्र वर्गो की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	20,000/–	20,000/–	40,000/–

उपहार राशि हेतु आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया की शेष शर्तें यथावत रहेगी। उक्त बढी हुई राशि दिनांक 01.04.2017 या इसके पश्चात् होने वाले विवाहों के लिए देय होगी।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या 161700499 दिनांक 12.04.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगें।

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/17–18/ 19659-771 जयपुर दिनांक :– 18-04-20

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर ....।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् ....।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास/संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
12. समस्त कोषाधिकारी कोषकार्यालय ....।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग........................।
14. एनालिस्ट –कम प्रोग्रामर, मुख्यावास पर वेबसाइट अपडेट करने बाबत्।
15. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार प्रसार।
16. आदेश पत्रावली।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु)

D:\Ramnarayan ji\General file\General letter.docx

(99)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 ( )सा सु /म.क./सान्याअवि/17-18/ 27003 जयपुर दिनांक - 23/05/17

आदेश

सहयोग एव उपहार योजना संचालन नियम, 2015 के नियम 3(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने के प्रमाण हेतु प्रार्थी/प्रार्थिया का मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड मान्य होगा ।

आवेदन व स्वीकृति की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक - एफ 15 ( )सा सु /म.क./सान्याअवि/17-18/ 27004-108 जयपुर दिनांक - 23/05/17

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एव पचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
4. उपनिदेशक (ए सी पी), मुख्यावास।
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग ।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्र.क.)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर

C:\Ramnarayan ji\General file\General letter.docx

42

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/ 26019   जयपुर दिनांक 29/04/2021

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा संख्या 114.00 के क्रम में विभाग के आदेश कमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना नियम 2015 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:–

2 परिभाषाये :–

नियम संख्या	उपनियम	संशोधित
2	12	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित परिवारो से है।
	13	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित परिवारो से है।
	14	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित परिवारो से है।
	15	विशेष योग्यजन से तात्पर्य 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजनों से है।
	16	महिला खिलाडी से तात्पर्य ऐसे महिला खिलाडी जिन्होनें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो।
	17	पालनहार से तात्पर्य पालनहार योजना में लाभान्वित बालिकाओं से है।

3 पात्रता :–

नियम संख्या	उपनियम	संशोधित
3	10	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार
	11	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
	10	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
	11	विशेष योग्यजन व्यक्ति (आयकर दाता नहीं हो)
	12	महिला खिलाडी (स्वयं का विवाह होने पर) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड रखती है। स्वयं अथवा माता–पिता आयकर दाता नहीं हो।
	13	पालनहार योजना में लाभान्वित

4 अनुदान :–

क्र. सं.	पात्रता	हथलेवा राशि	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1.	अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000/–	–	31,000/–
		31,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	41,000/–
		31,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	51,000/–
	अनुसूचित जन जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000/–	–	31,000/–
		31,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	41,000/–
		31,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	51,000/–
	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000/–	–	31,000/–
		31,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	41,000/–
		31,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	51,000/–
2.	सहयोग एवं उपहार योजना में SC/ST/Minority के बीपीएल परिवारों को छोडकर शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
3.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
4.	महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
5.	पालनहार में लाभार्थियों वे कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–

5 प्रकिया:—

नियम	उप नियम	संशोधित
5	1	सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
	13	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची कमांक के साथ–साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	14	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची कमांक के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	15	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची कमांक के साथ–साथ अल्पसंख्यक वर्ग, हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	16	आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्ति को 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
	17	महिला खिलाडियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
	18	पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की विवाह योग्य बालिकाओं के विवाह पर पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की टीप संख्या 101906228 दिनांक 28.04.2020 की सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

28/5/20
निदेशक

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/ 26020-390 जयपुर दिनांक 29/04/20

प्रतिलिपिः– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर..............................।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
13. रक्षित पत्रावली।

28.4.20

(चांदमल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/ 49969 — जयपुर दिनांक 12-10-2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश कमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

9/10/2020
(ओ. पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/49970-98 जयपुर दिनांक : 12-10-2020
प्रतिलिपिः– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निज़ी सचिव, शासन सचिव, महोदया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर............................... ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.. ।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... ।
14. आदेश पत्रावली।

(डॉ. एस. एल. पहाडिया)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, बी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20–21/ 24465 जयपुर दिनांक 11-6-2021

आदेश

ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, ऐसी कन्याओं को विभागीय आदेश क्रमांक 45327, दिनांक 13.07.2016 द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु संख्या 07 एवं 08 में पात्रता धारक आवेदकों को देय लाभ निम्नानुसार हैः–

<table>
<tr><th>बिन्दु संख्या</th><th>विवरण</th><th>देय लाभ</th></tr>
<tr><td>07</td><td>ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।</td><td rowspan="2">ऐसी विवाह योग्य कन्यां, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है/परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, उन्हें योजनान्तर्गत उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 26019, दिनांक 29.04.20 के बिन्दु संख्या 04 अनुदान के उपबिन्दु 02 में देय राशि लागू होगी।
योजना के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।</td></tr>
<tr><td>08</td><td>ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं हैं तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।</td></tr>
</table>

(ओ. पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20—21/24466-558 जयपुर दिनांक : 11-6-21
प्रतिलिपिः— सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर.............................।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद...।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है उन्हें उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने का ऑप्शन देवें।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
14. आदेश पत्रावली।

11/6/21

(डॉ. एस. एल. पहाडिया)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)